


हरियाणा सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

विषय:- कर्मचारियों/अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति से सम्बन्धित मामले मंत्रिपरिषद के सम्मुख प्रस्तुत करने बारे।

- क्या सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, कृपया उपरोक्त विषय की ओर ध्यान देंगे ?
2. सामान्य प्रशासन विभाग के ध्यान में लाया गया है कि प्रायः देखने में आया है कि कर्मचारियों/अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति से सम्बन्धित मामले उनकी पुनर्नियुक्ति की तिथि से काफी समय बाद अनुमोदन/घटनोत्तर अनुमोदन के लिए मंत्रिपरिषद के सम्मुख प्रस्तुत किये जाते हैं। कई मामलों में तो पुनर्नियुक्ति की अवधि सम्पूर्ण होने वाली होती है।
3. दिनांक 15.11.2018 को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस मामले पर गंभीरता से विचार-विमर्श करते हुए, मंत्रिपरिषद द्वारा यह निर्णय लिया है कि कर्मचारियों/अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति से सम्बन्धित ऐसे मामले जिनमें मंत्रिपरिषद के अनुमोदन की आवश्यकता है, उन मामलों को 2 माह के अन्दर-अन्दर या मंत्रिपरिषद की आगामी 2 बैठकों, जो भी पहले हो की समय सीमा में मंत्रिपरिषद के सम्मुख प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। इसके पश्चात प्रस्तुत किये जाने वाले मामलों में मंत्रिपरिषद द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।
4. आपसे अनुरोध किया जाता है कि कृपया अपने अधीन सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के नोटिस में अनुपालना के लिए ला दें।


अधीक्षक, सामान्य सेवाएँ-1 शाखा,
कृते मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार


सेवा में,

✓ हरियाणा सरकार के सभी प्रशासकीय सचिव।

अशां क्रमांक:-34/113/2018-4जी0एस01

दिनांक, चण्डीगढ़ 21 दिसम्बर, 2018

इसकी एक प्रति सचिव, मन्त्रीपरिषद, हरियाणा को उनके अशां क्रमांक 10/11/2011-2 कैबिनेट, दिनांक-26 नवम्बर, 2018 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है।


अधीक्षक, सामान्य सेवाएँ-1 शाखा,
कृते मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

सेवा में,

सचिव, हरियाणा सरकार,
(कैबिनेट शाखा)।

अशां क्रमांक:-34/113/2018-4जी0एस01

दिनांक, चण्डीगढ़ 21 दिसम्बर, 2018